मध्य प्रदेश शासन
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

क्रमांक एफ/६/४/छ:/८२ भोपाल, दिनांक २५-११-८६

प्रति,

१- प्रमुख सचिव म. प्र. शासन, स्थानीय शासन विभाग

२- समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।

विषय— कब्रस्तानों तथा खुली वक्फ सम्पत्तियों की सुरक्षा के लिये चहार दीवारी/तार फेन्सिंग की व्यवस्था ।

संदर्भ— १- विभाग का समसंख्यक ज्ञापन दिनांक २७-१-८७, २-३-८७, ९-१०-८७, ६-११-८७, १-१-८८, १-७-८०

२- परिपत्र क्रमांक एफ. ९/८/छ:/८७ दिनांक १०-१-८०, १०-८-८८ एवं १२-१-८९

कृपया संदर्भित परिपत्रों/अर्द्ध शासकीय पत्र देखिये जिनके द्वारा निवेदन किया गया था कि कब्रस्तानों एवं वक्फ सम्पत्तियों पर से अतिक्रमण हटाने की दिशा में तुरन्त कार्रवाई की जाये । भविष्य में अतिक्रमणन हो इसलिये कब्रस्तानों पर चहार दीवारी / तार फेंसिंग की व्यवस्था की जाये । अल्पसंख्यक कल्याण समिति की सिफारिश क्रमांक २४ पर मंत्रीमण्डल उप समिति ने इस प्रकार निर्णय लिया हैं ।

"वक्फ सम्पत्तियों पर अतिक्रमण से संबंधित पुराना परिपत्र दोहराया जावें और कब्रस्तानों की सुरक्षा के लिये तार फेंसिंग की कार्रवाई नगर निगमों के माध्यम से कलेक्टर की देखरेख में की जाये"

इस निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्रवाई नगर निगमो के माध्यम से कलेक्टर की देखरेख में की जाना है । अतः प्रक्कलन /प्रस्ताव इस विभाग को भेजने की आवश्यकता नहीं है । स्थानीय शासन विभाग अपने अधीनस्थ स्थानीय निकायों को आवश्यक निर्देश तुरन्त जारी करने का कष्ट करें ।

निवेदन है कि मंत्रीमण्डल उप समिति के निर्णय के पालन में समुचित कार्रवाई शीघ्र की जाये एवं की गई कार्रवाई से इस विभाग को भी अवगत कराने का अनुग्रह किया जाये ।

हस्ताक्षर
(अशोक वाजपेयी)
धर्मस्व सचिव
भोपाल, दिनांक २५-११-८६

पृ० क्र० एफ०/६/४/छ:/८२

प्रतिलिपि :—

१- समस्त कमिश्नर, मध्यप्रदेश ।

२- सचिव, म० प्र० वक्फ बोर्ड, भोपाल ।

३- वक्फ कमीशनर, म० प्र० भोपाल ।

४- सचिव, अल्पसंख्यक आयोग विधान सभा परिसर भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये ।

हस्ताक्षर
अवर सचिव
धर्मस्व विभाग